भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 812
30 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उद्योग का विकास

812. डॉ. सैयद नसीर हुसैन:
श्री प्रकाश चिक बाराईक:
श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:
श्री दिग्विजय सिंह:
श्रीमती फूलोदेवी नेतम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में आयुष क्षेत्र की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि कितनी-कितनी रही है;
(ख) क्या इसमें, विशेष रूप से वन उपज पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कच्चे माल की कमी रही है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार की आयुष क्षेत्र के भीतर विनियामक तंत्र को सुचारू बनाने के लिए कोई ठोस कार्यनीति है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय ने शिक्षा, जन-स्वास्थ्य जन-स्वास्थ्य, आयुष औषधि उद्योग और औषधीय पादपों सहित आयुष क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न पहल और कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने "ए डिकेड ऑफ ट्रांसफॉरमेटिव ग्रोथ इन आयुष, 2014-2024" शीर्षक से एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। विवरण https://ayush.gov.in/images/annualReport/DecadeAyushReport.pdf पर उपलब्ध हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में आयुष क्षेत्र की वर्ष –दर-वर्ष वृद्धि निम्नानुसार है-

i. आयुष मंत्रालय का बजट

पिछले पांच वर्षों के दौरान, आयुष मंत्रालय के बजट आवंटन में वृद्धि की गई है जो इस क्षेत्र के महत्व की बढ़ती हुई मान्यता को दर्शाता है। आयुष मंत्रालय को आवंटित बजट का वर्षवार विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

ii. आयुष अवसंरचना

देश में वर्ष 2018-2022 के दौरान आयुष अस्पतालों, बिस्तरों, औषधालयों और पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टर्स) की कुल संख्या **संलग्नक-I** पर दी गई है।

iii. आयुष औषधि उद्योग

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, आयुष निर्माण उद्योग का आकार 1,37,800 करोड़ रुपये (18.1 बिलियन अमरीकी डालर) तक होने का अनुमान लगाया गया है, जो 7 वर्षों में 6 गुना बढ़ा है। इसी प्रकार, आरआईएस के प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि आयुष सेवा क्षेत्र से 1,66,797 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018-2022 के दौरान देश में आयुष निर्माण इकाइयों की कुल संख्या (राज्य सरकारों/ संबंधित एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) का विवरण **संलग्नक-I** पर है।

इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) आयुष मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो आयुष क्षेत्र में आयुर्वेद और यूनानी औषधियों के निर्माण में लगा हुआ है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आईएमपीसीएल के कारोबार का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

iv. शिक्षा

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 को सितंबर, 2020 में अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम क्रमशः पुराने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के स्थान पर लाए गए थे। पिछले पांच वर्षों में स्थापित आयुष कॉलेजों का वर्ष-वार ब्यौरा **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): आयुष क्षेत्र में कच्चे माल की कमी की कोई सूचना आयुष मंत्रालय को नहीं दी गई है। इसके अलावा, आयुष क्षेत्र में कच्चे माल की खेती के लिए सहायता देने हेतु, आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 322.41 करोड़ रुपये के परिव्यय से, पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना'' कार्यान्वित की है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, उक्त योजना के तहत 43.49 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए परियोजना आधारित सहायता प्रदान करना है:

1. स्व-स्थाने संरक्षण/ पूर्व-स्थिति संरक्षण
2. प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां/ सम्मलेन आदि जैसे सूचना शिक्षा सम्प्रेषण कार्यकलाप
3. अनुसंधान और विकास
4. औषधीय पादपों के उत्पादों का संवर्धन, विपणन और व्यापार
5. पौधशालाओं की स्थापना
6. औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली और पिछली कड़ी (एकीकृत घटक)

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) का ऊटी, तमिलनाडु में होम्योपैथी औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच) है। यह संस्थान होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले विदेशी और स्वदेशी पादपों के जर्मप्लाज्म की खेती, सर्वेक्षण, संग्रहण और रखरखाव के कार्य में लगा हुआ है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के तहत तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के एमराल्ड में होम्योपैथी औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएम्पीआरएच) होम्योपैथी में प्रयोग की जाने वाली 104 औषधीय पादप प्रजातियों (92 विदेशी और 12 स्वदेशी) के जर्मप्लाज्म के रख-रखाव और खेती का कार्य कर रहा है।

केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) सिद्ध औषधीय पादप उद्यान, मेत्तूर बांध के माध्यम से सीसीआरएस की फार्मेसी में सिद्ध औषधयोगों के उत्पादन की मांग को पूरा करने और अनुसंधान तथा संबंधित प्रयोजन हेतु आपूर्ति के लिए भी औषधीय पादपों की खेती करती है।

राष्ट्रीय सोवा – रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) ट्रांस- हिमालयन औषधीय पादपों की खेती व संरक्षण हेतु लेह में ट्रांस- हिमालयन हर्बल उद्यान की स्थापना कर रहा है।

(घ): आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में विनियामक तंत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में निर्धारित है, गुणवत्ता नियंत्रण तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निहित है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देशों का प्रावधान है तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 85 (क से झ) में होम्योपैथी औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशानिर्देशों का प्रावधान है।

(ii) वर्ष 2021 में, आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित की है और इस योजना का पाँच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपए है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्न प्रकार हैं -

क. उच्चतर मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच औषधियों का भेषजसतर्कता।

ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे को सुदृढ़ करना।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थाओं और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों एवं सामग्रियों के मानकों के विकास और मानकीकरण/ प्रमाणन के लिए सहायता।

(iii) आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फार्माकोविजिलेंस केन्द्रों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी रखने और संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकरणों को सूचित करना अनिवार्य किया गया है। एक त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें एक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), मध्यवर्ती फार्माकोविजिलेंस केंद्र (आईपीवीसी) और परिधीय फार्माकोविजिलेंस केंद्र (पीपीवीसी) सम्मिलित हैं। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है। पीपीवीसी द्वारा नियमित अंतराल पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को आपत्तिजनक विज्ञापनों की सूचना दी जा रही है। साथ ही, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम, 2022 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विनियम, 2022 के अनुसार, सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए फार्माकोविजिलेंस एक अनिवार्य घटक है। साथ ही, 115283 लाभार्थियों के साथ 1500 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(iv) भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एवं एच) की स्थापना की है। पीसीआईएम एंड एच, आयुष मंत्रालय की ओर से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों/ दवाओं के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके तहत नियम, 1945 के अनुसार इनमें सम्मिलित एएसयू एंड एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता एवं शक्ति) सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं और भारत में निर्मित की जा रही एएसयू एंड एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। एनसीआईएसएम एक विनियामक निकाय है और इसने चिकित्सा शिक्षा, परीक्षा, डिग्री मान्यता, संस्था, अनुसंधान, नैतिकता और चिकित्सकों के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए 15 विनियमों को अधिसूचित किया है। ये विनियम https://ncismindia.org/under-ncism-act-2020.php पर उपलब्ध हैं।

(vi) गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए दिनांक 12 मार्च, 2024 को "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (चिकित्सा संस्थानों का आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024" अधिसूचित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान हैं:

- चिकित्सा संस्थाओं की वार्षिक आधार पर रेटिंग और आकलन की प्रक्रिया।
- शिक्षा के न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में विफलता के लिए कॉलेजों पर जुर्माना लगाना/मान्यता रद्द करना।

इन विनियमों का विवरण https://nch.org.in/upload/Assessment-and-Rating-of-Medical-Institutions.pdf पर उपलब्ध है।

(vii) अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 01.10.2021 की बजट अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 716 (ई) के द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों से संबंधित 23 चिन्हित अनुपालनों को कम कर दिया है।

*****

संलग्नक- I

(i) आयुष मंत्रालय को आवंटित बजट का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	**आवंटित बजट (करोड़ रूपए में)**
2019-20	1939.76 रूपए
2020-21	2122.08 रूपए
2021-22	2970.30 रूपए
2022-23	3050 रूपए
2023-2024	3647.50 रूपये

(ii) वर्ष 2018-2022 के दौरान देशों में आयुष अस्पतालों, बेड, डिस्पेंसरियों और पंजीकृत चिकित्सकों की कुल संख्या
निम्नानुसार है –

क्र.सं.	**सुविधा**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.	अस्पताल	3,986	3,781	3,859	3,844	3,859
2.	बेड	56,586	60,632	60,653	60,943	61,549
3.	डिस्पेंसरियां	27,199	29,091	29,951	36,848	37,385
4.	पंजीकृत चिकित्सक	7,99,879	6,46,013	7,12,132	7,55,780	7,30,317

(स्त्रोत: राज्य/संघ राज्य सरकारें और संबंधित एजेंसियां)

iii. वर्ष 2018-2022 के दौरान देश में आयुष निर्माण ईकाइयों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
आयुष निर्माण ईकाइयां	8,954	8,407	8,104	8,648	8,705

(स्त्रोत: राज्य/संघ राज्य सरकारें और संबंधित एजेंसियां)

iv. गत पांच वर्षों के दौरान आईएमपीसीएल का वर्ष-वार कारोबार निम्नानुसार है-

वर्ष	**कारोबार**
2018-19	86.83 करोड़ रूपए
2019-20	97.04 करोड़ रूपए
2020-21	164.02 करोड़ रूपए
2021-22	260.84 करोड़ रूपए
2022-23	223.23 करोड़ रूपए

संलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित आयुष कॉलेजों का वर्ष-वार विवरण –

क. पिछले पांच वर्षों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है –

	आयुर्वेद	**सिद्ध**	**यूनानी**	**सोवा -रिग्पा**
कॉलेजों की संख्या	150	06	03	03

ख. पिछले पांच वर्षों में स्थापित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों का स्नातक और स्नातकोत्तर स्वीकृत सीटों के साथ वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	**वर्ष**	**कुल कालेज**	**अनुमति प्राप्त**	**स्नातक सीटें**	**स्नातकोत्तर सीटें**

			नए कॉलेज		
1.	2019-20	247	00	18537	1406
2.	2020-21	247	00	18537	1406
3.	2021-22	259	12	19407	1606
4.	2022-23	270	11	21473	1788
5.	2023-24	277	07	21965	2051